

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता (स्वशासी संस्था)
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2019/

जबलपुर, दिनांक- /05/2019

'आदेश'

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित समूह-4 के अंतर्गत स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, सहायक ग्रेड-3 एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा-2018 के परिणाम उपरांत इस संस्था में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूटनी समिति द्वारा मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत एवं चयन समिति की अनुशंसा पर सफल पाये गये अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने कॉलम 6 में दर्शाये गये पद एवं कॉलम 8 में दर्शाये गये वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार) एवं शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्तों पर स्वशासी संस्था के अंतर्गत स्वशासी संवर्धन एवं संविलियन नियम 1998 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम-2018 के तहत कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना में अस्थायी रूप से 2 वर्ष की परिबीक्षा अवधि में नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/ महिला	श्रेणी	पदनाम	लेवल	वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIKASH JAIN	CHHAKKI LAL JAIN	पुरुष	UR/NIL/OPEN	RECORD TECHNICIAN	7	28700/-
2	SANDEEP KALESH	SANTAR SINGH KALESH	पुरुष	ST/NIL/OPEN	RECORD TECHNICIAN	7	28700/-
3	ANIL KUMAR MEHRA	HIRALAL GARWHAL	पुरुष	SC/NIL/OPEN	ASSISTANT GRADE-3	4	19500/-
4	SHABNAM BARSENA	GANGARAM BARSENA	महिला	SC/NIL/FEMALE	ASSISTANT GRADE-3	4	19500/-
5	JAGDISH NINGWAL	KERUSINGH NINGWAL	पुरुष	ST/NIL/OPEN	ASSISTANT GRADE-3	4	19500/-
6	BHANTARSINGH BAGHEL	DEVI SINGH	पुरुष	ST/NIL/OPEN	ASSISTANT GRADE-3	4	19500/-
7	BHAVIKA BANGALE	SUDHAKAR BANGALE	महिला	ST/NIL/FEMALE	ASSISTANT GRADE-3	4	19500/-
8	ANKITA PANDEY	UDIT NARAYAN PANDEY	महिला	UR/NIL/OPEN	DOCUMENTLIST	4	19500/-
9	BRAHMA NAND	NARAYAN SINGH	पुरुष	ST/NIL/OPEN	DOCUMENTLIST	4	19500/-
10	PRASHANT KOSHTI	UMAKANT KOSHTI	पुरुष	UR/NIL/OPEN	STENOTYPIST	4	19500/-
11	ARVIND DHURVEY	MOHAN SINGH DHURVEY	पुरुष	ST/NIL/OPEN	STENOTYPIST	4	19500/-
12	JHILMIL THAKUR	LAKHAN SINGH THAKUR	महिला	ST/NIL/OPEN	STENOTYPIST	4	19500/-
13	MONIKA DHURVE	DHANIRAM DHURVE	महिला	ST/NIL/FEMALE	STENOTYPIST	4	19500/-
14	AMIT DWIVEDI	VIJAY KUMAR DWIVEDI	पुरुष	UR/NIL/OPEN	COMPUTER OPERATOR	4	19500/-
15	SUSHIL KUMAR NATH	SHIVKUMAR	पुरुष	UR/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
16	RAVI VERMA	ASHOK VERMA	पुरुष	UR/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
17	SACHIN KUMAR SAHU	RAJ KUMAR SAHU	पुरुष	UR/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
18	NAMRTA KOSTA	DEOKI NANDAN KOSTA	महिला	UR/NIL/FEMALE	RECORD CLERK	4	19500/-
19	KHUSHBU DIXIT	JAGDISH DIXIT	महिला	UR/NIL/FEMALE	RECORD CLERK	4	19500/-
20	SHYAM SUNDER AHIRWAR	RAMESH AHIRWAR	पुरुष	SC/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
21	DINESH SHAKYA	BALVEER SINGH	पुरुष	SC/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
22	MUKESH KUMAR PRAJAPATI	HARCHARAN PRAJAPATI	पुरुष	SC/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-
23	AARTI SONKAR	RAM BABOO SONKAR	महिला	SC/NIL/FEMALE	RECORD CLERK	4	19500/-
24	SHUBHAM SHIVHARE	SANTOSH SHIVHARE	पुरुष	OBC/NIL/OPEN	RECORD CLERK	4	19500/-


-1-

कृ.पू.उ.



नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है।

1. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण करने नहीं दिया जावेगा।
2. नियुक्त कर्मचारी को इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 15/06/2019 तक अधिष्ठाता कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
3. आपकी सेवार्यें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
4. इस नियुक्ति में SC/ST/OBC के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
5. आपकी नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है।
6. इस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिए सीधे आवेदन नहीं दे सकते।
7. मादक एवं पेय उत्तेजक पदार्थ का सेवन न कर सकेंगे। यदि इस प्रकार सेवन करते हुए पाये गये तो म.प्र. सेवा आचरण नियम के तहत कार्यवाही कर सेवा से पदच्युत कर दिया जावेगा।
8. नियुक्त कर्मचारी को एक माह के भीतर पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सेवा से तत्काल निष्कासित कर दिया जावेगा। पुलिस सत्यापन में या किसी अन्य प्रकार की जांच में दोषी पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त की जावेगी।
9. बिना पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
10. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीति अथवा किसी भी अवांछित गतिविधियों में भाग पूर्णतः वर्जित होगा।
11. म.प्र. शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 3597/2009/दो/सी-1, दिनांक 26/12/2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासकीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवार्यें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
12. नियुक्त कर्मचारी को पेंशन की पात्रता नहीं होगी किंतु एन.पी.एस.की नियमानुसार पात्रता होगी।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)
जबलपुर, दिनांक- 31/05/2019

पृ.क्रमांक/स्था/अराज/स्व/2019 - 4183

प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
2. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर।
3. जिलाध्यक्ष, जिला-जबलपुर की ओर।
4. प्रशासकीय अधिकारी, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की ओर।
5. स्थानीय लेखा शाखा की ओर।
6. श्री/श्रीमति/कु.....

की ओर प्रेषित कर लेख है कि 15 दिवस के भीतर अधिष्ठाता कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
ने.सु.च.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर
(फोन न. 0761-2370951)